

भागीदारी प्रलेख

यह भागीदारी प्रलेख आज दिनांक माहसन् ...

. को के दिन नगर में निम्नलिखित

व्यक्तियों के द्वारा एवं उनके बीच निष्पादित किया गया -

(1) श्री आत्मज आयु निवासी

(2) श्री आत्मज आयु निवासी

(3) श्री आत्मज आयु निवासी

उक्त भागीदार को आगे क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पक्षकार के नाम से संबोधित किया जायेगा।

और चूँकि हम सब भागीदारों ने मिलकर संयुक्त रूप से का व्यवसाय करने एवं उसके लाभों को बाँटने के लिए एक भागीदारी फर्म का गठन करने का निश्चय किया है एवं निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत हम इस भागीदारी प्रलेख को निष्पादित करते हैं -

1. कि इस भागीदारी फर्म को नाम से संबोधित किया जायेगा एवं दिनांक से इसका व्यवसाय आरम्भ माना जायेगा।
2. कि फर्म का मुख्य कार्यालय स्थान पर होगा और भागीदारों की राय से इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।
3. किसी उक्त भागीदारी फर्म का गठन 10 वर्षों के लिए किया जाता है, पर बाद में भी सभी पक्षकारों की सहमति से उसे चालू रखा जा सकेगा।
4. कि भागीदारी फर्म की कुल पूंजी 30,000/-रुपये होगी, जिसमें तीनों भागीदारों का बराबर अंशदान होगा।
5. कि फर्म के लाभों को तीनों भागीदारों में समान रूप से बांटा जावेगा एवं हानि तीनों भागीदार समान रूप से वहन करेंगे।
6. कि भागीदारी फर्म के लाभों का बंटवारा करने एवं लेखा जोखा तैयार करने के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक माना जायेगा।
7. कि भागीदार उक्त प्रथम पक्षकार को फर्म का प्रबन्धक नियुक्त करते हैं, एवं उसे एतद् द्वारा इस करार के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य सौंपते हैं:-
 - (i) वह भागिता के कारोबार का निर्देशन एवं देखभाल करेगा।
 - (ii) वह फर्म के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति, पदमुक्ति एवं पदोन्नति कर सकेगा पर उनके वेतन का निर्धारण तीनों भागीदार मिलकर करेंगे।
 - (iii) वह फर्म की ओर से न्यायालय में वाद संस्थित कर सकेगा, अपनी इच्छा से किसी अधिवक्ता, मुख्तार, अभिकर्ता या प्रबन्धक की नियुक्ति या पद मुक्ति कर सकेगा।
 - (iv) फर्म का सारा लेखा जोखा तैयार करवायेगा एवं समय समय पर उसका निरीक्षण निर्देशन करता रहेगा।
 - (v) फर्म की ओर से वह बैंक में भागीदारी फर्म के नाम से खाता खोलेगा एवं अपने हस्ताक्षर से उसे चलायेगा।
 - (vi) वर्ष के अन्त में फर्म के लाभों की तीनों पक्षकारों में बराबर अदायगी करवायेगा।
1. कि प्रबन्धक को अपने उक्त कार्यों के लिए अलग से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा।

2. कि सभी पक्षकार फर्म के हित एवं लाभ के लिए कार्य करेंगे एवं किसी पक्षकार द्वारा दुराचरण किये जाने पर अन्य भागीदार को भागिता का विघटन करने का अधिकार होगा।
3. कि भागीदारी फर्म के व्यवसाय का पूरा लेखा जोखा रखा जायेगा, सभी बिल, रसीदें, वाऊचर आदि को सुरक्षित रखा जायेगा एवं सभी भागीदारों को उसके निरीक्षण का अधिकार होगा।
4. कि भागीदारों के बीच किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न हो जाने पर उसे पंच निर्णय के लिए सौंपा जायेगा, एवं पंचों द्वारा दिया गया पंचात (Award) सभी पक्षकारों को बाध्य रूप से मान्य होगी।
5. जब तक भागीदार का व्यवसाय चलेगा, किसी भागीदार फर्म से मिलता जुलता व्यवसाय अपने नाम से करने का अधिकार नहीं होगा।
6. कि भागीदारी फर्म विघटित हो जाने पर सभी पक्षकार उनके द्वारा लगाई गई पूंजी को एवं फर्म के लाभों को पाने का अधिकार रखेंगे।

उपयुक्त के साक्ष्य स्वरूप सभी भागीदारों ने उनके हस्ताक्षरों के नीचे दिये गये स्थानों तथा दिनांक को भागिता के इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर कर उसका निष्पादन कर दिया है।

हस्ताक्षर, प्रथम पक्षकार

हस्ताक्षर, द्वितीय पक्षकार

हस्ताक्षर, तृतीय पक्षकार

साक्षीगण

(1)

(2)

स्थान :

दिनांक :